

<sup>1</sup>[प्ररूप सं. 26थग

[धारा 194 झख, नियम 30(2ख) और (6ख) और नियम 31क (4ख) देखें]

धारा 194झख के अधीन कर की कटौती का चालान-सह-विवरण

|  |                           |   |  |                  |                |   |   |   |
|--|---------------------------|---|--|------------------|----------------|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष   |                           | मुख्य शीर्ष कोड*                          | 2  | 0                | लघु शीर्ष कोड* | 8 | 0 | 0 |
| अभिधारी/पेदार/संदायकर्ता का [स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या]                          |                           |   |  |                  |                |   |   |   |
| अभिधारी/पेदार/संदायकर्ता का पूरा नाम*  |                           |   |  |                  |                |   |   |   |
| अभिधारी/पेदार/संदायकर्ता का पूरा पता   |                           |   |  |                  |                |   |   |   |
| पिन  |                           |   |  |                  |                |   |   |   |
| मोबाइल सं.   |                           | ई-मेल आईडी                                |  |                  |                |   |   |   |
| जहां एक से अधिक अभिधारी/पेदार/संदायकर्ता हैं (हां/नहीं)                                  |                           |   |  |                  |                |   |   |   |
| भूस्वामी/पाकर्ता/पानेवालों का स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या                          |                           |   |  |                  |                |   |   |   |
| स्थायी खाता संख्या का प्रवर्ग*   |                           | स्थायी खाता संख्या की स्थिति*             |  |                  |                |   |   |   |
| भूस्वामी/पाकर्ता/पानेवालों का पूरा नाम   |                           |   |  |                  |                |   |   |   |
| भूस्वामी/पाकर्ता/पानेवालों का पूरा पता   |                           |   |  |                  |                |   |   |   |
| पिन  |                           |   |  |                  |                |   |   |   |
| मोबाइल नं.   |                           | ई-मेल आईडी                                |  |                  |                |   |   |   |
| क्या भूस्वामी/पाकर्ता/पानेवाले एक से अधिक हैं (हां/नहीं)                                 |                           |   |  |                  |                |   |   |   |
| किराए पर दी गई संपत्ति का पूरा पता   |                           |   |  |                  |                |   |   |   |
| पिन  |                           |   |  |                  |                |   |   |   |
| किराएदारी की अवधि**  |                           | संदत्त किराए का कुल मूल्य (रु0 में)       | अंतिम महीने में संदत्त किराए का मूल्य (रकम रूपए में)   |                  |                |   |   |   |
| क्या धारा 206कख के अनुसार उच्चतर दर पर टीडीएस काटा गया है (हां/नहीं)***                  |                           |   |  |                  |                |   |   |   |
| संदत्त/प्रत्ययित रकम (रु0 में)   | संदत्त/प्रत्यय की तारीख** | दर जिस पर कटौती की गई है (टिप्पण 1 देखें) | स्त्रोत पर काटी गई कर की रकम                           | कटौती की तारीख** |                |   |   |   |
| निक्षेप की तारीख**   |                           | संदाय का ढंग                              | साथ साथ ई-कर संदाय<br>पश्चात्कर्ती तारीख पर ई-कर संदाय |                  |                |   |   |   |
| स्त्रोत पर कर कटौती के संदया के ब्यौरे (रकम रु. में)                                     |                           |   |  |                  |                |   |   |   |
| टीडीएस (आय कर) (वह व्यक्ति जिसकी कटौती गई है, के कर का प्रत्यय इस रकम के लिए दिया जाएगा) |                           |   |  |                  |                |   |   |   |
| ब्याज  |                           |   |  |                  |                |   |   |   |
| शुल्क  |                           |   |  |                  |                |   |   |   |
| कुल संदाय  |                           |   |  |                  |                |   |   |   |

1. आय-कर (उन्नीसवॉ संशोधन) नियम, 2022 द्वारा 21.6.2022 से प्रतिस्थापित।

| कुल संदाय शब्दों में (रु0 में ) |  |  |  |     |  |  |  |      |  |  |  |         |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|-----|--|--|--|------|--|--|--|---------|--|--|--|------|--|--|--|------|--|--|--|
| करोड़                           |  |  |  | लाख |  |  |  | हजार |  |  |  | सैंकड़ा |  |  |  | दहाई |  |  |  | ईकाई |  |  |  |
|                                 |  |  |  |     |  |  |  |      |  |  |  |         |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |

\*स्वतः अद्यतन किया जाए

\*\*दिदि/मम/वव के प्ररूप में

\*\*\*किराएदारी की अवधि के सामने, वित्तीय वर्ष के लिए किराए पर दी गई संपत्ति के महीनों की संख्या उल्लिखित की जा सकेगी।

\*\*\*\*\*1अप्रैल, 2022 से, धारा 194-झक के अधीन कर कटौती के मामले में धारा 206कख के उपबंध लागू नहीं हैं।

टिप्पण :ऊंची दर पर कर की कटौती के मामले में धारा 206कख के उपबंध लागू हैं \*\*।